


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2014/ज्येष्ठ 8, 1936

No. 131]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2014/JYAISTHA 8, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2014

फा. सं. 11/2/2009-एडी-ईडी.—भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 2009 की 176 में पारित दिनांक 4.7.2011 के आदेश के अनुसरण में केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में एक विशेष जांच टीम गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- क) माननीय न्यायाधीश श्री एम. बी. शाह, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय—अध्यक्ष
- ख) माननीय न्यायाधीश श्री अरिजीत पसायत, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय—उपाध्यक्ष
- ग) सचिव, राजस्व विभाग—सदस्य
- घ) डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक—सदस्य
- (ड.) निदेशक, (आईबी)—सदस्य
- च) निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय—सदस्य
- छ) निदेशक, सीबीआई—सदस्य
- ज) अध्यक्ष, सीबीडीटी—सदस्य
- झ) महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो—सदस्य
- ञ) महानिदेशक राजस्व आसूचना—सदस्य
- ट) निदेशक, वित्तीय आसूचना एकक—सदस्य

- ठ) संयुक्त सचिव (एफटी एंड टीआर-1) सीबीडीटी—सदस्य तथा
 ड) निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग—सदस्य
2. विशेष जांच टीम के विचारार्थ विषय माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4.7.2011 के आदेश के अनुसार होंगे और इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—
- (i) विशेष जांच टीम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करेगी ।
- (ii) उक्त विशेष जांच टीम को जांच, कार्यवाहियों को शुरू करने तथा अभियोजन, चाहे वह निम्नलिखित के मामलों में समुचित अपराधिक मामला हो अथवा सिविल कार्यवाहियां हो, का उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य सौंपा जाएगा :—
- (क) हसन अली खां तथा तापुरिया के गैर लेखागत धनराशि से संबंधित तथा उससे उद्भूत होने वाले मामलों से संबंधित सभी मामले ;
- (ख) भारतीयों अथवा भारत में कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं द्वारा विदेशी बैंकों के खाते में गैर लेखागत धनराशि रखने के अन्य ऐसे मामले, जो जानकारी में हैं, के संबंध में ऐसी सभी जांच जो पहले ही आरम्भ कर दी गई हैं तथा लम्बित है, अथवा जांच आरम्भ करने की प्रक्रिया में हैं; तथा
- (ग) भारतीयों अथवा भारत में कार्यरत अन्य संस्थाओं द्वारा विदेशी बैंकों में गैर लेखागत धनराशि रखने से संबंधित ऐसे अन्य मामले जो ऐसी जांच तथा कार्यवाही के दौरान प्रकट हो सकते हैं ।
- (iii) विशेष जांच टीम की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी भी होगी कि वह ऐसी धनराशि के स्रोतों के संबंध में आपराधिक तथा/अथवा गैर कानूनी गतिविधियों के संबंध में तथा ऐसी गैर लेखागत धनराशि को देश में से बाहर ले जाने तथा देश के भीतर लाने के लिए प्रयुक्त आपराधिक तथा/अथवा गैर कानूनी तरीकों के बारे में भी जांच करे तथा कार्यवाही आरम्भ कर तथा ऐसे मामलों में अभियोजन की कार्रवाई करे ।
- (iv) विशेष जांच टीम को यह दायित्व भी सौंपा गया है कि वह ऐसी अपेक्षित संस्थागत अवसंरचना के सृजन सहित एक व्यापक कार्यवाही योजना भी बनाएगा जिससे गैर कानूनी धनराशि के सृजन तथा उसका विदेशी बैंकों अथवा विभिन्न घरेलू मंचों पर रखे जाने के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाए।
3. विशेष जांच टीम उच्चतम न्यायालय के प्रति जिम्मेवार होगा तथा उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किसी विशेष आदेश में उच्चतम न्यायालय को सभी प्रमुख नए तथ्यों के संबंध में जानकारी प्रदान करता रहेगा।
4. सांविधिक रूप से गठित एकल निकायों और अन्य संवैधानिक निकायों सहित भारत संघ अथवा राज्य सरकार के स्तर के सभी संगठन, अभिकरण, विभाग और राज्य के अभिकारक परंतु यह इन तक ही सीमित नहीं हो, विशेष जांच टीम के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।
5. भारत संघ और जहां कहीं आवश्यक हो राज्य सरकार, विशेष जांच टीम द्वारा की जाने वाली जांच के संचालन को आवश्यक वित्तीय, भौतिक, कानूनी, राजनयिक और आसूचना संबंधी संसाधन प्रदान करके पूर्ण रूप से सुकर बनाएंगे चाहे इस प्रकार की जांच अथवा इस प्रकार की जांचों का कोई भाग भारत के अंदर या विदेश में किया जाना हो।
6. विशेष जांच टीम को उन मामलों में भी जांच करने का अधिकार है जहां आरोप पत्र पहले ही दायर कर दिए गए हैं; और विशेष जांच टीम और आगे के मामलों को दर्ज कर सकती है तथा समुचित जांच-पड़ताल कर सकती है तथा विदेश के बैंक खातों में गैर-कानूनी ढंग से रखे गए बिना लेखे के धन को वापस लाने के उद्देश्य से कार्यवाहियां शुरू कर सकती है।
7. माननीय न्यायाधीश श्री एम. बी. शाह तथा माननीय न्यायाधीश अरिजीत पसायत, जिन्हें विशेष जांच टीम की निगरानी के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, के पारिश्रमिक, भत्ते, सुविधाओं

आदि का निर्धारण उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किया जाएगा। राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार विशेष जांच टीम के उचित एवं प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए समुचित अवसंरचना एवं अन्य सुविधाओं का गठन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8. संयुक्त सचिव (राजस्व), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय विशेष जांच टीम के सदस्य सचिव होंगे।
9. यह अधिसूचना उच्चतम न्यायालय में लंबित पुनरीक्षण याचिका के परिणाम के अध्यक्षीन है।

एम. एल. मीना, संयुक्त सचिव (राजस्व)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2014

F. No. 11/2/2009-Ad. E.D.—In pursuance of the Order dated 4.7.2011 of Hon'ble Supreme Court of India passed in Writ Petition (Civil) No. 176 of 2009, Central Government in the Ministry of Finance, Department of Revenue hereby constitutes the Special Investigation Team, comprising of the following :-

- a) Hon'ble Mr. Justice M.B. Shah, former Judge of Supreme Court — Chairman
- b) Hon'ble Mr. Justice Arijit Pasayat former Judge of Supreme Court — Vice Chairman
- c) Revenue Secretary — Member
- d) Deputy Governor, Reserve Bank of India — Member
- e) Director (IB) — Member
- f) Director, Enforcement Directorate — Member;
- g) Director, CBI — Member;
- h) Chairman, CBDT — Member ;
- i) Director General, Narcotics Control Bureau—Member ;
- j) Director General, Revenue Intelligence — Member;
- k) Director, Financial Intelligence Unit — Member;
- l) Joint Secretary (FT & TR-I), CBDT — Member and
- m) Director, Research and Analysis Wing — Member.

2. The terms of references of the Special Investigation Team will be as per order dated 04.07.2011 of Hon'ble Supreme Court and includes as under:-

- (i) The Special Investigation Team shall function under the guidance and direction of Chairman and Vice Chairman.
- (ii) The said Special Investigation Team shall be charged with the responsibilities and duties of investigation, initiation of proceedings, and prosecution, whether in the context of appropriate criminal or civil proceedings of :-
 - a) all issues relating to the matters concerning and arising from unaccounted monies of Hassan Ali Khan and the Tapurias;
 - b) all other investigations already commenced and are pending, or awaiting to be initiated, with respect to any other known instances of the stashing of unaccounted monies in foreign bank accounts by Indians or other entities operating in India; and

- c) all other matters with respect to unaccounted monies being stashed in foreign banks by Indians or other entities operating in India that may arise in the course of such investigations and proceedings.
- (iii) It is also the responsibility of SIT to ensure that the matters are also investigated, proceedings initiated and prosecutions conducted with regard to criminality and/or unlawfulness of activities that may have been the source for such monies, as well as the criminal and/or unlawful means that are used to take such unaccounted monies out of and/or bring such monies back into the country, and use of such monies in India or abroad.
- (iv) The Special Investigation Team shall also be charged with the responsibility of preparing a comprehensive action plan, including the creation of necessary institutional structures that can enable and strengthen the country's battle against generation of unaccounted monies, and their stashing away in foreign banks or in various forms domestically.
3. The said Special Investigation Team should be responsible to the Hon'ble Supreme Court and that it shall be charged with the duty to keep Supreme Court informed of all major developments by filing of periodic status reports and following of any special orders that Supreme Court may issue from time to time;
4. All organs, agencies, departments and agents of the State, whether at the level of the Union of India, or the State Government, including but not limited to all statutorily formed individual bodies, and other constitutional bodies, extend all the cooperation necessary for the functioning of Special Investigation Team.
5. The Union of India and where needed the State Governments will facilitate the conduct of the investigations, in their fullest measure, by the Special Investigation Team and functioning, by extending all the necessary financial, material, legal, diplomatic and intelligence resources, whether such investigations or portions of such investigations occur inside the country or abroad.
6. The Special Investigation Team also empowered to further investigate even where charge-sheets have been previously filed; and that the Special Investigation Team may register further cases, and conduct appropriate investigations and initiate proceedings, for the purpose of bringing back unaccounted monies unlawfully kept in bank accounts abroad.
7. Remuneration, allowances, facilities etc. for Hon'ble Mr. Justice M.B. Shah and Hon'ble Justice Arijit Pasayat, appointed as Chairman and Vice Chairman to supervise the Special Investigation Team shall be as per judgement dated 4.7.2011. The Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India will be responsible for creating the appropriate infrastructure and other facilities for proper and effective functioning of the Special Investigation Team.
8. JS(R) Department of Revenue, Ministry of Finance would be Member-Secretary of SIT.
9. This notification is subject to the outcome of the Review Petition Pending in the Supreme Court.

M. L. MEENA, Jt. Secy. (Revenue)